

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: F2(2997)/DOIT&C/2026/

जयपुर, दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर।

कार्यालय आदेश

स्व. श्री भूपेन्द्र सैनी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन), कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर (राज), का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 27.03.2026 को निधन हो गया था। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती खूशबू सैनी (OBC) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उक्त पत्र/आवेदन पत्र कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर (राज), विभाग के पत्र क्रमांक : SJE_ALW/ESTT/LETTER/2023&24/&02863/Rajkaj Ref No 22125177, दिनांक 11.05.2026 से इस विभाग को दिनांक 14.05.2026 को इस विभाग में प्राप्त हुआ। अतः श्रीमती खूशबू सैनी को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर (राज), में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed Remuneration to Probationer Trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती खूशबू सैनी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत Schedule IV (Rule No.16) **नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 14600/- प्रति माह की दर से देय होंगे।** इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-5 (First cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी-1) 5200-20200 (ग्रेड पे न. 9) ग्रेड पे. 2400) का न्यूनतम वेतनमान 20800/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

श्रीमती खूशबू सैनी द्वारा प्रस्तुत **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, वर्ष 2013-2014** की अंकतालिका के क्रमांक सं. **0209269** के अनुसार इनकी **जन्म तिथि 04.05.2001 (चार मई दो हजार एक)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, किन्तु महिलाओं अभ्यर्थी होने की दशा में, स्त्री रोग विशेषज्ञ (**Gynecologist**) के भी हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक नियुक्ति दिनांक के बाद की होनी आवश्यक है, एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नहीं हो) प्रस्तुत करने होंगे।
3. श्रीमती खूशबू सैनी द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. परिवीक्षाकाल में अवकाश या अन्य सुविधाएं आदि राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न **"प्रपत्र-ए"** में शपथ पत्र राशि रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल ईस्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

RajKaj Ref No.:
24745819



Digitally signed by
RAMESHWAR LAL SOLANKI
Designation: Technical
Director
Date: 2026-09-30 16:00:35
IST

9. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. श्रीमती खूशबू सैनी को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
14. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
15. श्रीमती खूशबू सैनी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 वरिष्ठ निजी शासन सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
- 2 कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर (राज), विभाग के पत्र क्रमांक : SJE_ALW/ESTT/LETTER/2023&24/&02863/Rajkaj Ref No 22125177, दिनांक 11.05.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- 4 आहरण एवं वितरण अधिकारी (भुगतान शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (उपस्थिति पंजिका शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- 7 श्रीमती खूशबू सैनी पत्नी स्व. श्री भूपेन्द्र सैनी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन), निवासी : ग्राम पोस्ट डोरोली, कटूमर, अलवर 321606 (राज.) (स्पीड-पोस्ट), मो. 9929882606, ई-मेल: khushbu31saini@gmail.com को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर (राज), में उपस्थिति प्रस्तुत करें।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

